प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
गाजीपुर।

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,
गाजीपुर।

पत्रांक 899 /स०क०/2021—22 दिनांक— 10-06-21

महोदय,

अवगत कराना है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या तथा विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु शादी अनुदान योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सामूहिक विवाह दिनांक 14.07.2021 को सम्पन्न कराने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा तिथि निर्धारित की गयी है। नगर क्षेत्र के वैवाहिक जोड़े नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत गाजीपुर एवं ग्रामीण क्षेत्र के पात्र वैवाहिक जोंड़े अपने संबंधित विकास खण्ड में दिनांक 07.07.2021 तक अनिवार्य रूप से आवेदन/प्रस्ताव जमा करना सुनिश्चित करेंगे। योजना की पात्रता की शर्ते निम्नवत है—

1. इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 07.07.2021 तक आवेदन लिया जायेगा।
2. कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हो।
3. आवेदक के परिवार की आय रूपये 2.00 लाख के अन्तर्गत हो।
4. विवाह हेतु कन्या की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे।
5. इस योजना के अन्तर्गत निर्धन परिवारों की कन्या के विवाह/विधवा, परित्यक्तता/तलाकशुदा, जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह कराया जाना है।
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
8. इस योजना में कन्या के खाते में रूपये 35000.00 की धनराशि तथा 10000.00 की सामग्री दिया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि NIC के वेबसाइट पर उक्त सूचना अपलोड कराने का कष्ट करें, जिससे व्यापक प्रचार प्रसाद हो सके।

भवदीय,

(राम विलास यादव)
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
गाजीपुर।